23.09.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/1588 दिनांक 11.09.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 23.09.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2019 (पोस्टल ऑर्डर के आधार पर) को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 30.08.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही कराने पर अप्रालार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा नियत तारीख पेशी तक ना तो इस न्यायालय को कोई जवाब भिजवाया है ना ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कोई जवाब प्रेषित किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चौमू से सूचना चाही गई है जो प्रथम दृष्टया प्रश्नवाचक सूचनाऐं है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रश्नवाचक सूचनाएं नही दी जा सकती है। परन्तु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा अपीलार्थी को जो भी सूचनाऐं दी जा सकती थी अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को भी कोई बिन्दुवार जवाब/सूचना आदिनांक तक भी प्रस्तुत नही की गई है।

23/9/19
11:34 AM
पालना
पत्रांक/जा
1811-12
15/10/19

Scanned by CamScanner

आर.टी.आई. अपील सं0 : 14/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना जो उपलब्ध कराई जा सकती है वह निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। (डॉ. अशोक कुमार) **प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं** **अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर**

Scanned by CamScanner